न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 82/2016 अपील

उनवान

श्रीमती सायर कंवर पुत्री खुमानसिंह बेवा गोपालसिंह राजपूत निवासी राखोली(चांद जी की खेड़ी) तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

——अपीलार्थी

बनाम 1.श्री भारतसिंह पिता खुमानसिंह राजपूत निवासी हथोड़िया पोस्ट बिहाड़ा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2.श्री भंवर सिंह पिता रामसिंह राजपूत ग्राम जेतपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बिजौलिया, बमामले नामा0 संख्या 1242 आदेश दिनांक 22.11.2016

उपस्थित :– श्री रणवीरसिंह राणावत एवं कृष्णगोपाल शर्मा अधि0 अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 06/06/2018

अपीलार्थी की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया बमामले नामान्तरकरण संख्या 1242 आदेश दिनांक 22.11.2016 प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट का पीहर ग्राम आटा तहसील जावद जिला नीमच मध्यप्रदेश है तथा अपीलान्ट की शादी ग्राम राखोली(चांदजी की खेड़ी) तहसील बिजौलिया में गोपालसिंह के साथ सम्पन्न हुई व अपीलान्ट ने अपने भाई भारतसिंह को अपने पास रखा व उसके नाम से आराजी संख्या 1046 व 1093/1046 कुल कीता 2 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम चांदजी की खेड़ी में दर्ज 3/5 हक हिस्से की भूमि क्रय की जब से उक्त भूमि पर कृषि करती चली आ रही है। पति का स्र्ववास हो जाने से भाई भारतसिंह की नियत में फितूर आ जाने से वह भूमि हड़प करने की गरज से झगड़ा फिसाद कर बहकावे में आकर लड़ाई झगड़ा करता है। वादीया ने राजस्व न्यायालय में वाद संख्या 26/2016 पेश कर रखा है जो जैर कार्यवाही है। अपीलान्ट बेवा होकर राजपूत परिवार से है। उसका नाजायज लाभ उठा रेस्पोडेन्ट भंवरसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी जैतपुरा त0 हिण्डोली जिला बून्दी ने अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की गरज से नामान्तरकरण विक्रय विलेख लिखा अपने नाम खुलवा लिया जिससे यह अपील प्रस्तुत है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट ने ट्यूबवेल खुदा रखा है तथा ट्यूबवेल पर बिजली कनेक्शन अपीलान्ट के पति के नाम पर है। विक्रेता भारतसिंह अपने ससुराल रहता है। मौके पर न कभी काबिज रहा है व न कब्जा है तथा न भूमि पर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कोई लागत लगाई है। हक अधिकारिता का प्रश्न राजस्व वाद जो लम्बित है उससे निस्तारण होगा। इस प्रकार मातहत न्यायालय का आदेश वास्तविकता से परे होकर विधि विरूद्ध होने से निरस्ती के है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर जो आदेश विधि विरूद्ध दिया है को अपास्त फरमावें।

अपील बाद जांच पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अपील का लिखित में कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से कोई हाजिर नहीं। अपील के साथ ग्राम चांदजी की खेड़ी के नामान्तरकरण संख्या 1242 की प्रमाणित फोटो प्रति, अपीलार्थी की ओर से तहसीलदार बिजौलिया को नामान्तरकरण नहीं खोलने बाबत दिनांक 20.10.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, पटवारी हल्का चांदजी की खेड़ी द्वारा तैयार किया पर्चामौका ग्राम चांदजी की खेड़ी दिनांक 28.11.2016 की फोटो प्रति, बिजली बिल श्री गोपालसिंह राजपूत की फोटो प्रति, ग्राम चांदजी की खेड़ी की आ0नं0 1046, 1093/1046 की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 की फोटो प्रति, उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 26/2016 अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0टि0एक्ट सायर कंवर बनाम भारतसिंह राजपूत की आदेशिका दिनांक 08.09.2016 व वाद पत्र की फोटो प्रतियां, श्री छीतर पिता मूणलाल कुम्हार व श्री सीताराम पिता बालूदास बैरागी निवासी चांदजी की खेड़ी के शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित दिनांक 19.12.2016 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलान्ट उपस्थित । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित थे। बहस एक तरफा सुनी गई।

बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चांदजी की खेड़ी में स्थित आ0नं0 1046 व 1093/1046 कुल कीता 2 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा में 3/5 हिस्सा श्री मूणलाल पिता हरलाल कुम्हार के खातेदारी की थी जिसे अपीलार्थी के पति श्री गोपालसिंह पिता केसरसिंह राजपूत ने अपने साले भारतसिंह पिता खुमानसिंह के नाम से विक्रयपत्र निष्पादित करा क्रय की थी जिसकी समस्त राशि अपीलार्थी के पति ने अदा की थी। उक्त क्रय दिनांक से आज दिनांक तक कभी इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट भारतसिंह काबिज नहीं रहा न वर्तमान में कब्जा है। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात ट्यूबवेल खुदवाया जिस पर बिजली कनेक्शन लिया जो अपीलार्थी के पति द्वारा खुदवाया व कनेक्शन भी अपीलार्थी के पति के नाम पर ही है जिसका बिजली का बिल प्रस्तुत है। भूमि रेस्पोडेन्ट भारतसिंह के नाम से क्रय की थी जो कि अपीलार्थी का सगा भाई है परन्तु अपीलार्थी के पति की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट भारतसिंह के मन में लालच पैदा हो जाने से उसने उक्त 3/5 हिस्से को जरिये रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी। इसकी जानकारी होने पर अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण नहीं खोलने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.10.2016 को पटवारी हल्का को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सा0 बिजौलिया ने आदेशित किया था। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का चांदजी की खेड़ी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें लिखा कि वादोक्त

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजीयात आ0नं0 1046 रकबा 9–17 बीघा व आ0नं0 1093/1046 रकबा 0–02 बीघा कुल 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि श्री भंवरसिंह पिता रामसिंह राजपूत 3/5 सा0 जेतपुरा त0हिण्डोली भैरूलाल, खाना पिता प्यारचंद स्वर्णकार 2/5 सा0देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु लगभग 26 वर्षों से शायरकंवर पत्नि स्व0 गोपालसिंह राजपूत नि0 राखोली का कब्जा व काश्त करते हैं। इसी सम्बन्ध में घोषणा का वाद भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब बिजौलिया के द्वारा बिना जांच किए नामान्तरकरण संख्या 1242 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2016 को निरस्त फरमावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों बहस के तथ्यों के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 1046 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा व आ0नं0 1093/1046 रकबा 0–02 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा श्री भारतसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत सा0 राखोली 3/5 व भैरूलाल, खाना पिता प्यारचन्द स्वर्णकार 2रु5 सा0देह संयुक्त खातेदारी से ग्राम चांदजी की खेड़ी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 में दर्ज है। भारतसिंह ने अपने 3/5 हिस्से को जरिये विक्रयपत्र से श्री भंवरसिंह पिता रामसिंह राजपूत को विक्रय किये जाने पर ना0सं0 1242 से इस जमाबन्दी में भंवरसिंह के नाम खातेदारी से दर्ज है। पत्रावली में श्री छीतर पिता मूणमल कुम्हार निवासी चांदजी की खेड़ी का शपथ पत्र संलग्न है जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त वादोक्त आराजीयात का 3/5 हिस्सा अपीलान्ट के स्व0 पति श्री गोपालसिंह के द्वारा अपने साले भारतसिंह के नाम से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जिससे वह खातेदार दर्ज हुआ। अपीलार्थीया का कथन है कि खरीद से ही वादोक्त आराजीयात पर अपीलार्थीया का ही कब्जा व काश्त है तथा बिजली कनेक्शन है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त वादोक्त भूमि में कोई लागत नहीं लगाई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना जांच के भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पर निर्णित किया जिसे अपास्त फरमाया जावे। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादोक्त आराजीयात में अपीलार्थीया का हक हिस्सा दर्ज होते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही में गलत आदेश पारित किया हो। अपीलार्थीया स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करती है कि वादोक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि उसका भाई है के नाम से क्रय की थी। दस्तावेज जिस व्यक्ति के नाम पर पंजीबद्ध है उसके आधार पर वही उसका अधिकारी होता है और इस प्रकरण में भारतसिंह ही खातेदार होकर उसके द्वारा भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट भंवरसिंह के पक्ष में पंजीबद्ध दस्तावेज से किया जो उचित है। यदि विक्रय पत्र गलत है तो उसके लिए सिविल न्यायालय में चेलेंज किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया। अपीलार्थीया के द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी सहायक कलक्टर, बिजौलिया के न्यायालय में दायर कर रखा है जो विचाराधीन है। किसी भी प्रकार के अधिकारों का निस्तारण राजस्व वाद के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि विचाराधीन है। अपील एक फिसकल प्रोसीडिंग है इसके माध्यम से किसी के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलार्थीया अपनी अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रही है। अतएव–

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम चांदजी की खेड़ी की आराजी नम्बर 1046 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा व आ0नं0 1093/1046 रकबा 0–02 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा में 3/5 हिस्से का रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्री भंवरसिंह पिता रामसिंह राजपूत नि0 जेतपुरा त0 हिण्डोली जिला बून्दी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1242 निर्णय दिनांक 22.11.2016 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06 .06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा